

प्रेस नोट

दिनांक 05.02.2026

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के पर्यवेक्षण में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त विवेक निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी ग्रा० नैपुरिया बहादुरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर क्रासिंग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की काले रंग की स्पेलेंडर मोटर साइकिल वाहन रजिस्ट्रेशन सं० UP 43 AZ 0720 बरामद की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री बृज किशोर पुत्र रामसजीवन ग्राम कनकपुर पूरे शिवदयालगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 04.01.2026 को नन्दनी नगर महविद्यालय में राष्ट्र कथा आयोजन में उसकी ड्यूटी लगी थी वादी अपनी मोटर साइकिल स्पेलेंडर प्लस UP 43 AZ 0720 है मोटर साइकिल पार्किंग के पास खड़ी थी जहाँ से किसी अज्ञात चोर ने मोटर साइकिल चोरी कर ली है। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 05.02.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण व वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी अभियुक्त विवेक निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी ग्रा० नैपुरिया बहादुरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर क्रासिंग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की काले रंग की स्पेलेंडर मोटर साइकिल वाहन रजिस्ट्रेशन सं० UP 43 AZ 0720 बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- विवेक निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी ग्रा० नैपुरिया बहादुरा थाना वजीरगंज जनपदगोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 13/2026 धारा 303 (2), 317 (2) बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. हीरो स्पेलेंडर मोटर साइकिल (UP 43 AZ 0720)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० विभव सिंह मय हमराह
02. हे०कां० अभिषेक सिंह
03. कां० आनन्द सिंह
04. कां० अशोक कुमार राय

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 05.02.2026

थाना छपिया पुलिस द्वारा बलवा एवं जानलेवा हमला करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0- 321/2025, धारा 191(3)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त - छैल बिहारी मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को ग्राम सकदरपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.09.2025 समय वादी रमाकान्त मिश्रा पुत्र सुग्रीव मिश्रा निवासी सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा द्वारा थाना छपिया में लिखित तहरीर दी गयी कि जमीन पर निर्माण को लेकर विपक्षी राजमणि पुत्र पारसनाथ, देवमणि पुत्र पारसनाथ मिश्रा, छैलबिहारी पुत्र पारसनाथ, बृजेश पुत्र पारसनाथ, इन्द्रमणि पुत्र पारसनाथ आदि ने मिलकर गाली गुप्ता देते हुए लाठी डंडा से मारे पीटे तथा जान से मारने की धमकी दी जिसमें वादी रमाकान्त, उनके भाई अमित कुमार व पिता सुग्रीव कुमार को काफी चोटें आयी हैं। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें पूर्व में आरोपी अभियुक्तगण 1. राजमणि पुत्र पारसनाथ, 2. देवमणि पुत्र पारसनाथ मिश्रा व 3. इन्द्रमणि पुत्र पारसनाथ को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 05.02.2026 को थाना छपिया पुलिस द्वारा घटना में संलिप्त आरोपी अभियुक्त - छैल बिहारी मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा निवासी ग्राम सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा को ग्राम सकदरपुर स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. छैल बिहारी मिश्रा पुत्र पारसनाथ मिश्रा उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम सकदरपुर थाना छपिया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0स0- 321/2025, धारा 191(3)/115(2)/352/351(3)/109(1) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम-

01. उ0नि0 घनश्याम वर्मा मय हमराह
02. उ0नि0 श्री अविनाश मणि त्रिपाठी
03. हे0का0 अरविन्द कुमार
04. का0 सुजीत यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 05.02.2026

थाना धानेपुर पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने के 01 आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, एक अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद -

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के पर्यवेक्षण में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा चोरी करने के आरोपी अभियुक्त विवेक निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी ग्रा० नैपुरिया बहादुरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर क्रासिंग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की काले रंग की स्पेलेंडर मोटर साइकिल वाहन रजिस्ट्रेशन सं० UP 43 AZ 0720 बरामद की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी श्री बृज किशोर पुत्र रामसजीवन ग्राम कनकपुर पूरे शिवदयालगंज थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गई कि दिनांक 04.01.2026 को नन्दनी नगर महविद्यालय में राष्ट्र कथा आयोजन में उसकी ड्यूटी लगी थी वादी अपनी मोटर साइकिल स्पेलेंडर प्लस UP 43 AZ 0720 है मोटर साइकिल पार्किंग के पास खड़ी थी जहाँ से किसी अज्ञात चोर ने मोटर साइकिल चोरी कर ली है। थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 05.02.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण व वाहन चेकिंग के दौरान आरोपी अभियुक्त विवेक निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी ग्रा० नैपुरिया बहादुरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा को दुल्लापुर क्रासिंग से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की काले रंग की स्पेलेंडर मोटर साइकिल वाहन रजिस्ट्रेशन सं० UP 43 AZ 0720 बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- विवेक निषाद पुत्र विजय निषाद निवासी ग्रा० नैपुरिया बहादुरा थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं० 27/2026 धारा 303 (2), 317 (2) बीएनएस थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. हीरो स्पेलेंडर मोटर साइकिल (UP 43 AZ 0720)

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० विभव सिंह मय हमराह
02. हे०का० अभिषेक सिंह
03. का० आनन्द सिंह
04. का० अशोक कुमार राय

मीडिया सेल, गोण्डा।